भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3089

उत्तर देने की तारीख 11 जुलाई, 2019
20 आषाढ़, 1941 (शक)

इंफाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

3089. डॉ. आर.के. रंजनः
श्री जी.एम. सिद्धेश्वराः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिनियम 2018 के अंतर्गत इंफाल में स्थित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में कोर्ट, कार्यकारी परिषद, अकादमी और गतिविधि परिषद, खेल अध्ययन बोर्ड और एक वित्त समिति जैसे प्राधिकारों का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुलपति और अन्य सांविधिक पदों का सृजन और नियुक्ति कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के कार्यकरण और निर्माण की प्रगति पर कोई निरीक्षक रिपोर्ट है जो अधिनियम के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार कर्नाटक में खेल विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू), मणिपुर में प्राधिकरणों यथा कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक और कार्यकलाप परिषद, खेल अध्ययन बोर्ड और वित्त समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 के अंतर्गत कुलपति और अन्य सांविधिक पदों का प्रावधान है । वर्तमान में, सचिव, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है । शैक्षणिक

और व्यवसायिक कंसलटेंसी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है । टीआईएसएस विशेषज्ञ विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के सहयोग, संकाय और प्रबंधकों/ नेताओं में से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने आदि के लिए सरकार की सहायता करेगा ताकि एनएसयू को वैश्विक स्तर के खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नियुक्त किए जा सकें ।

(ग) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ने दिनांक 15.01.2018 से कार्य करना शुरू किया है । इस समय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर कोई निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) खेल राज्य का विषय होने के कारण कर्नाटक में खेल विश्वविद्यालय खोलने सहित खेलों के संवर्धन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । नया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मणिपुर, इंफाल में स्थापित किया जा रहा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कर्नाटक सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों और खिलाड़ियों को सेवाएं प्रदान करेगा ।

*****